

21/4/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण लगभग 05-
वर्ष से साक्ष्य जारी में रोकित है। अनेक
अवसर विवेक जाने पर भी साक्ष्य पेश नहीं
हुए है। अदालत में आज बण्ट छानि
नहीं है। पकील उपायपत्र के प्रथम-प्रथम
सत्र पर तीन-तीन बार आवेजें लगायी
गयीं। बावजूद आवेजें लजायी जाने पर
भी छानि नहीं आने पर सायं 5.30 बजे
पत्रावली अंतर्गत आदेश-9, नियम-3
आदि के तहत अदालत छानि व अदालत
चौकी में एतदुद्धारा खासियत की जाती
है। पत्रावली केफल सुनार लेकर नंबर
में काम की जाकर बाकील हफ्तार
है। विनियम करे इजाजत सुनाया जाकर
मेरे हस्ताक्षर व अदालत सुनार से
जाती किया गया।

सहायक कलक्टर
साँभर लोक

